

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर

पत्रांक/प्र0श्रे0लि0-4/

7236-44

/ 2022-23

दिनांक 29.06.22

विज्ञप्ति/आदेश

कार्यालय के पत्रांक/प्र0श्रे0लि0-4/29696-704/2018-19 दिनांक 31-10-2018 के द्वारा, गार्डेनिया पब्लिक स्कूल राधापुरम् गोवा गार्डेन कल्यानपुर कानपुर नगर को ग्री से कक्षा 8 तक 'अग्रेजी माध्यम' को सत्र 2018-19 से आगामी तीन शैक्षिक सत्र हेतु मान्यता प्रदान की गई थी। विद्यालय प्रबन्धक के द्वारा किये गये आवेदन-पत्र/प्रार्थना-पत्र के क्रम में खण्ड शिक्षा अधिकारी/जॉब अधिकारी द्वारा सम्बन्धित विद्यालय को स्थाई मान्यता दिये जाने की संस्तुति की गई है।

उक्त संस्तुति के आलोक में निम्न विवरण के अनुसार विद्यालय को प्रदान की गयी अनन्तिम मान्यता, आदेश निर्गमन तिथि से तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने के फलस्वरूप विद्यालय संचालन की अनुमित इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि नवीन शासनादेश संख्या 89/अडसउ-3-2018-2041/2018 दिनांक 11 जनवरी 2019 के प्रस्तर -2-(1) में वर्णित शर्तों (यथासंशोधित) का पालन निर्धारित समय के अन्तर्गत किया जाना अनिवार्य होगा।

क्र0सं0	विद्यालय का नाम व पता	विकासखण्ड का नाम	मान्यता का माध्यम	मान्य कक्षाएं	मान्यता आदेश संख्या व दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	गार्डेनिया पब्लिक स्कूल राधापुरम् गोवा गार्डेन कल्यानपुर कानपुर	शास्त्री नगर	अग्रेजी माध्यम	ग्री से कक्षा 8 तक	पत्रांक/प्र0श्रे0लि0-4/29696-704/2018-19 दिनांक 31-10-2018

— ६६ —
(डा0 पवन कुमार तिवारी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर नगर।

पृ0सं0/प्र0श्रे0लि0-4/

7236-44

/ 2022-23

तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- शिक्षा निदेशक (बि0) उ0प्र0 निशातमंजु लखनऊ।
- 2- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज।
- 3- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बि0) कानपुर मण्डल कानपुर।
- 4- जिला समाज कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
- 5- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
- 6- जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
- 7- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर।
- 8- सम्बन्धित विद्यालय प्रबन्धक।
- 9- कार्यालय गार्डेन फाइल।



जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर नगर।